

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
G.C.M.S-2023/740

नंबर व तारीख  
जो इस हुक्म  
तामील में है

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित।  
P.O साहब दीगर कार्य में व्यर्थ है।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/5/25  
को पेश हो।

5/5/25  
पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित। पत्रावली बस्ते  
पूर्व भादेवानुसार दिनांक 20/5/25 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित।  
P.O साहब दीगर कार्य में व्यर्थ है।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 03/6/25  
को पेश हो।

03/06/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।  
तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में प्राप्त विभाजन  
प्रस्ताव पर आदिनांक तक किसी भी पक्षकार ने  
हाजिर अदालत आकर आपति दर्ज नहीं करवायी  
हैं। जिस कारण विभाजन प्रस्ताव पर बहस  
वकील वादी एकपक्षीय सुनी गयी। दौराने बहस  
वकील वादी ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त  
विभाजन प्रस्ताव पर सहमति देते हुए मुताबिक  
विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का  
निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व  
रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक  
डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन  
प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं बहस  
वकील वादी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि  
वकील वादी तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त  
विभाजन प्रस्ताव से सहमत हैं। अतः वाद वादी  
न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक  
विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया  
जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री  
का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन  
प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा  
तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फौसल  
शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील



हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 03.06.2025  
को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)  
राजवीर सिंह यादव  
उपाखण्ड अधिकारी,  
नीमकाथाना (सीकर)  
नीमकाथाना